छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
<u>दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर</u>

क्रमांक एफ 9–4/खाद्य/2010/29/2228 रायपुर, दिनांक 16 मई, 2011

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
बस्तर, कांकेर, दंतेवाडा,
बीजापुर, नारायणपुर

2 **प्रबंध संचालक,**
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
रायपुर छ.ग.

3. **प्रबंध संचालक,**
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम,
रायपुर छ.ग.

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बस्तर संभाग में बी.पी.एल., अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के हितग्राहियों को पैकेट बंद 1 किलोग्राम देशी चना वितरण करने बाबत् ।**

---00---

बस्तर संभाग में समस्त बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं एम.के.एस.वाय. योजना के हितग्राहियों को 1 किलोग्राम देशी चना प्रतिमाह रूपये 5/– प्रति किलो की दर से आगामी वर्ष 2011–12 से प्रदाय किया जावेगा । उक्त योजना का नाम "**छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना** " वितरण योजना है।

1. **योजना का उद्देश्य :–**

बस्तर संभाग के समस्त बी.पी.एल, अन्त्योदय एवं एम.के.एस.वाय. योजन के हितग्राहियों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक देशी चना रियायती दर पर उपलब्ध कराय जाना है ।

2. **नोडल एजेंसी :–**

उक्त योजना के अंतर्गत चना वितरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य नागरिव आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिव

आपूर्ति निगम के द्वारा चने की खरीदी नियमानुसार निविदा के माध्यम से की जायेगी । चने के क्रय मूल्य के अलावा निगम द्वारा चने का वितरण ग्रेडिंग, पैकेजिंग, 70 माइक्रान के ट्रॅांसपरेंट पॉलीपैक में तथा 1 किलोग्राम की 50 थैलियो की 50 किलोग्राम वाले एच.डी.ई.पी. बैग में किया जावेगा । निगम द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन अनुसार चना का वितरण कराया जावे। अतः गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जावे । नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को द्वार प्रदाय योजनांतर्गत चने की आपूर्ति की जावेगी । उक्त योजना के अंतर्गत होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा की जायेगी ।

3. **चना का उपभोक्ता मूल्य :-**

चने का उपभोक्ता मूल्य रूपये 5/- प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है। बस्तर संभाग में समस्त बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं एम.के.एस.वाय. योजना के हितग्राहियों को 1 किलोग्राम देशी चना प्रतिमाह रूपये 5/- प्रति किलो की दर से प्रदाय किया जावेगा । राशनकार्डधारियों की जानकारी हेतु चना का उपभोक्ता मूल्य उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित किया जावे ।

4. **प्रचार-प्रसार :-**

"छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना " वितरण योजना का स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे, ताकि उपभोक्ताओं को उक्त योजना की जानकारी प्राप्त हो सके ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार बस्तर संभाग के समस्त बी.पी.एल., अन्त्योदय एवं एम.के.एस.वाय. योजना के हितग्राहियों को देशी चना वितरण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग